

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

कमांक D/4056 / चार-12-5 / 2023

जबलपुर, दिनांक 04 / 10 / 2023

श्री देवीलाल सोनिया, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट की पदोन्नति निम्न तालिका के कॉलम नम्बर 2 में उल्लेखित दिनांक से होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत उनका पुनरीक्षित वेतन निर्धारण तालिका के कॉलम नम्बर 4 में दर्शाये अनुसार किया जाता है :-

म.प्र. न्यायिक सेवा का वेतनमान, प्राप्त वेतन एवं दिनांक	उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति का दिनांक	उच्चतर न्यायिक सेवा के एण्ट्री वेतनमान 144840-194660 / -(जे-5) में वेतन का निर्धारण।		
		वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
111000-163030/-	23-03-2017	-	153670/-	23-03-2017
<u>153670/-</u> 16-06-2016		16-06-2017	158280/-	01-06-2017
		16-06-2018	163030/-	01-06-2018
		16-06-2019	167920/-	01-06-2019
		16-06-2020	172960/-	01-06-2020
		16-06-2021	178150/-	01-06-2021
		16-06-2022	183490/-	01-06-2022
		16-06-2023	188990/-	01-06-2023
( Next Increment on 16-06-2024 )				

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

A 2.10.23  
(अजय पवार)

4.10.23  
रजिस्ट्रार(एम)  
जबलपुर, दिनांक 04 / 10 / 2023

पृष्ठांकन क्र० D/4057 / चार-12-5 / 2023  
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी/सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. श्री देवीलाल सोनिया, जिला न्यायाधीश, करेरा जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

**नोट:-** रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड कर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4.10.23  
4.10.23  
रजिस्ट्रार(एम)